



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01042024-253478  
CG-DL-E-01042024-253478

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 82]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 28, 2024/चैत्र 8, 1946

No. 82]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 28, 2024/CHAITRA 8, 1946

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2024

(मामला संख्या: ए डी डी (ओआई) -10/2024)

विषय: चीन जन. गण. और संयुक्त राज्य अमेरिका से पोटेशियम टर्शियरी बुटोक्साइड (के टी बी) के आयातों और चीन जन. गण. से सोडियम टर्शियरी बुटोक्साइड (एस टी बी) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरूआत।

फा. सं. 6/11/2024-डीजीटीआर.—समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसके बाद "अधिनियम" के रूप में भी कहा गया है) और समय समय पर यथा-संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे इसके बाद "नियमावली" के रूप में भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, सुपर्णा कैमिकल्स लिमिटेड (जिसे इसके बाद "आवेदक" के रूप में भी कहा गया है) ने निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद "प्राधिकारी" के रूप में भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दाखिल किया है, जिसमें चीन जन. गण. तथा संयुक्त राज्य अमेरिका (जिन्हें इसके बाद "संबद्ध देश" के रूप में भी कहा गया है) से पोटेशियम टर्शियरी बुटोक्साइड अथवा के टी बी (जिसे इसके बाद "के टी बी" अथवा "संबद्ध वस्तु" अथवा "विचाराधीन उत्पाद" के रूप में भी कहा गया है) के आयातों और चीन जन. गण. (जिसे इसके बाद "संबद्ध देश" के रूप में भी कहा गया है) से सोडियम टर्शियरी बुटोक्साइड अथवा एस टी बी (जिसे इसके बाद "एस टी बी" अथवा

“संबद्ध वस्तु” अथवा “विचाराधीन उत्पाद” के रूप में भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत करने और पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया गया है।

2. आवेदकों ने यह आरोप लगाया है कि संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं पाटन के कारण भारत में घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है। तदनुसार, आवेदक ने चीन जन. गण. और संयुक्त राज्य अमेरिका से के टी बी के आयातों और चीन जन. गण. से एस टी बी के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

#### क. विचाराधीन उत्पाद

3. विचाराधीन उत्पाद 'पोटाशियम टर्शियरी बुटोक्साइड' और 'सोडियम टर्शियरी बुटोक्साइड' हैं। उन्हें इस प्रकार से परिभाषित किया जाता है :

4. पोटाशियम टर्शियरी बुटोक्साइड अथवा के टी बी एक रासायनिक यौगिक है जिसे कार्बनिक रसायन विज्ञान में एक गैर- न्यूक्लियोफिलिक और सशक्त अल्कोक्साइड बेस के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसे पोटाशियम-टी-बुटोक्साइड, पोटाशियम टर्शियरी बुटाइलेट अथवा पोटाशियम-टी- बुटाइलेट के रूप में भी जाना जाता है और इसका रासायनिक फार्मूला  $C_4H_9KO$  है। इसे पाउडर और / अथवा घोल के रूप में उत्पादित किया जाता है। तथापि, वर्तमान जांच केवल पाउडर रूप में के टी बी के संबंध में है। के टी बी का उपयोग डिप्रोटोनेशन रिएक्शन, आर्गनिक सिंथेसिस, एलिमिनेशन रिएक्शन, डिहेलोडिनेशन रिएक्शन में किया जाता है और इसका उपयोग एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट (ए पी आई) में भी किया जाता है।

5. सोडियम टर्शियरी बुटोक्साइड अथवा एस टी बी एक रासायनिक यौगिक है जिसे कार्बनिक रसायन विज्ञान में एक गैर- न्यूक्लियोफिलिक और सशक्त बेस के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसे सोडियम-टी-बुटोक्साइड, सोडियम टर्शियरी बुटाइलेट अथवा सोडियम-टी- बुटाइलेट के रूप में भी जाना जाता है और इसका रासायनिक फार्मूला  $C_4H_9NaO$  है। इसे पाउडर और / अथवा घोल के रूप में उत्पादित किया जाता है। तथापि, वर्तमान जांच केवल पाउडर रूप में एस टी बी के संबंध में है। एस टी बी का उपयोग डिप्रोटोनेशन, कंडेंसेशन, बेस केटेलाइज, रीअरेंजमेंट और रिंग ओपनिंग जैसे विभिन्न रिएक्शन में किया जाता है और इसका उपयोग एग्रोकैमिकल, फार्मास्यूटिकल, क्लरेंट, एरोमा कैमिकल, पॉलिमर डिटरजेंट और बायोडीजल में भी किया जाता है।

6. संबद्ध वस्तुएं सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 29 के अंतर्गत, टैरिफ कोड 2905 1490, 2905 1990 और 2905 4900 के अंतर्गत वर्गीकृत हैं। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

7. वर्तमान जांच के पक्ष विचाराधीन उत्पाद पर अपनी टिप्पणियाँ प्रदान कर सकते हैं और जांच शुरू होने के 15 दिनों के भीतर पीसीएन (औचित्य के साथ), यदि कोई हो, प्रस्तावित कर सकते हैं।

#### ख. समान वस्तु

8. आवेदक ने यह दावा किया है कि भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित के टी बी एवं एस टी बी और संबद्ध देशों से उत्पादित तथा निर्यातित विचाराधीन उत्पाद में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। भारतीय उत्पादकों द्वारा उत्पादित और संबंधित देशों से आयातित प्रत्येक संबद्ध वस्तुएं भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्यो और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों, मूल्य निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय है। संबद्ध वस्तुएं तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से संबंधित देशों से आयातित संबद्ध वस्तुओं के साथ प्रतिस्थापन योग्य हैं। उपभोक्ता संबद्ध वस्तुओं और समान वस्तु का परस्पर उपयोग कर रहे हैं। इसलिए, वर्तमान जांच के उद्देश्य से, आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तुओं को संबद्ध देशों से आयात की जा रही संबद्ध वस्तुओं के "समान वस्तु" के रूप में माना गया है।

**ग. घरेलू उद्योग और उसका आधार**

9. यह आवेदन सुपर्णा केमिकल लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। यद्यपि दो अन्य उत्पादक हैं जिन्होंने संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन किया हो सकता है, ऐसा उत्पादन केवल 1-2 मीट्रिक टन है। इस प्रकार, आवेदक को वर्तमान जांच के प्रथम दृष्टया उद्देश्य से भारत में संबद्ध वस्तुओं का एकमात्र निर्माता माना गया है।
10. आवेदक ने यह उल्लेख किया है कि वे संबंधित देशों में संबद्ध वस्तुओं के किसी उत्पादक/ निर्यातक अथवा भारत में संबद्ध वस्तुओं के किसी आयातक से संबंधित नहीं हैं। आवेदक ने यह अनुरोध किया है कि उसने जांच की प्रस्तावित अवधि के दौरान नमूना आधार पर चीन जन. गण. से <01 मीट्रिक टन एसटीबी का आयात किया है।
11. यह नोट किया जाता है कि आवेदक के पास संबद्ध वस्तुओं के कुल भारतीय उत्पादन में एक बड़ा हिस्सा है। उपरोक्त के मद्देनजर, यह नोट किया गया है कि आवेदक प्रथम दृष्टया नियमों के नियम 2 (बी) के संदर्भ में पात्र घरेलू उद्योग का गठन करता है, और आवेदन प्रथम दृष्टया नियमों के नियम 5 (3) के संदर्भ में खड़े होने की आवश्यकता को पूरा करता है।

**घ. संबद्ध देश**

12. वर्तमान पाटनरोधी जांच के लिए संबद्ध देश के टी बी के संबंध में चीन जन. गण. और संयुक्त राज्य अमेरिका तथा एस टी बी के संबंध में चीन जन. गण. हैं।

**ङ. जांच की अवधि**

13. वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि 1 अक्टूबर 2022 से 30 सितंबर 2023 (12 माह) की है। क्षति जांच की अवधि में 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021, 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 और जांच की अवधि शामिल है।

**च. कथित पाटन का आधार****i. चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य**

14. आवेदक ने यह दावा किया है कि चीन जन. गण. को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाना चाहिए और जब तक चीन के उत्पादक यह नहीं दर्शाते कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां प्रबल हैं, उनका सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। आवेदक ने बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य का दावा किया है। आवेदक ने बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत निर्धारित करने के लिए, भारत से यूरोपीय संघ को संबद्ध वस्तुओं के निर्यात की कीमत पर विचार किया है। कारखाना बाह्य सामान्य मूल्य पर पहुंचने के लिए कीमत को समायोजित किया गया है। प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के उद्देश्य से इस पर विचार किया है।

**ii. संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए सामान्य मूल्य**

15. आवेदक ने दावा किया है कि जांच की प्रस्तावित अवधि के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रचलित घरेलू बिक्री मूल्य और संयुक्त राज्य अमेरिका में आयातों के मूल्य के लिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध साक्ष्य नहीं था। तदनुसार, आवेदक ने संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पादन की लागत का उपयोग करते हुए सामान्य मूल्य निर्धारित किया है, जिसका अनुमान उसके अपने उत्पादन की लागत पर आधारित है, जिसमें उचित लाभ शामिल है। प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के उद्देश्य से इस पर विचार किया है।

**छ. निर्यात कीमत**

16. आवेदक ने उपलब्ध सूचना के आधार पर निर्यात मूल्य का दावा किया है। तथापि, प्राधिकारी ने डीजीसीआई एंड एस के सौदा-वार आंकड़ों में दी गई सूचना के अनुसार संबंधित वस्तुओं के सीआईएफ मूल्य के आधार पर संबद्ध

वस्तुओं के निर्यात मूल्य पर विचार किया है। शुद्ध निर्यात मूल्य पर पहुंचने के लिए समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, बंदरगाह व्यय, बैंक प्रभार, अंतर्देशीय माल ढुलाई और कमीशन के संबंध में समायोजन किए गए हैं।

#### ज. पाटन मार्जिन

17. प्रत्येक संबद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य की तुलना कारखाना बाह्य स्तर पर की गई है। इस बात के पर्याप्त साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों में प्रत्येक संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य कारखाना-बाह्य निर्यात मूल्य से काफी अधिक है जो प्रथम दृष्टया यह दर्शाता है कि संबंधित संबद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा प्रत्येक संबद्ध वस्तु का भारतीय बाजार में पाटन किया जा रहा है और पाटन मार्जिन न्यूनतम से अधिक है जिससे कि जांच शुरू किए जाने को न्यायोचित ठहराया जा सके।

#### झ. क्षति और कारणात्मक संबंध

18. आवेदक ने प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत किया है जिससे यह सिद्ध होता है कि आयातों से भारत में घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है। आयात की मात्रा में क्षति की अवधि, निरपेक्ष संदर्भ में और घरेलू उत्पादन और खपत के संदर्भ में काफी वृद्धि हुई है। संबद्ध आयातों से घरेलू मूल्यों में कटौती हुई है, घरेलू मूल्यों में कमी आई है और मूल्य वृद्धि को रोका गया है जो अन्यथा हो सकती थी। आवेदक ने यह दावा किया है कि आयातों से उसके उत्पादन, क्षमता उपयोग, घरेलू बिक्री और बाजार हिस्सेदारी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इससे घरेलू उद्योग की लाभप्रदता पर काफी प्रभाव पड़ा है और इससे हानि, नकद हानि और नियोजित पूंजी पर नकारात्मक प्रतिफल प्राप्त हुआ है।

19. अतः पाटनरोधी जांच शुरू करने को न्यायोचित ठहराने के लिए संबद्ध देशों से पाटित आयातों द्वारा घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य मौजूद हैं।

#### ञ. पाटनरोधी जांच की शुरूआत

20. घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से दायर विधिवत प्रमाणित आवेदन के आधार पर और आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर प्राधिकारी स्वयं संतुष्ट होने के बाद, चीन जन. गण. और संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल के अथवा वहां से निर्यातित के टी बी और चीन चीन जन. गण. से एस टी बी के पाटन को प्रमाणित करते हुए, घरेलू उद्योग को हुई क्षति और ऐसे कथित पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध की पुष्टि करते हुए और नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 ए के अनुसार, प्राधिकारी संबंधित संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पादों के संबंध में किसी कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने तथा पाटनरोधी शुल्क की उतनी मात्रा की सिफारिश करने के लिए जांच की शुरूआत करते हैं, जो यदि लगाया जाता है तो घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।

#### ट. प्रक्रिया

21. नियमावली के नियम 6 में यथानिर्धारित सिद्धांतों का वर्तमान जांच में पालन किया जाएगा।

#### ठ. सूचना प्रस्तुत करना

22. निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पत्तों [adv11-dgtr@gov.in](mailto:adv11-dgtr@gov.in); [jd12-dgtr@gov.in](mailto:jd12-dgtr@gov.in); और [ad12-dgtr@gov.in](mailto:ad12-dgtr@gov.in) के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/ एमएस वर्ड फॉर्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फॉर्मेट में खोजे जाने योग्य हो।

23. संबद्ध देशों में ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों, उनकी सरकारों को भारत में उनके दूतावासों के माध्यम से, भारत में संबद्ध वस्तुओं से संबंधित होने के लिए ज्ञात आयातकों और प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग को अलग अलग सूचित किया जा रहा है ताकि वे नीचे निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्धारित प्रपत्र और तरीके से सभी प्रासंगिक जानकारी दर्ज कर सकें। ऐसी सभी जानकारी इस आरंभिक अधिसूचना, एडी नियम, 1995 और प्राधिकरण द्वारा जारी लागू व्यापार नोटिस द्वारा निर्धारित प्रारूप और तरीके से दर्ज की जानी चाहिए।

24. कोई अन्य इच्छुक पक्ष भी इस आरंभ अधिसूचना, एडी नियम, 1995 और प्राधिकरण द्वारा जारी लागू व्यापार नोटिस द्वारा निर्धारित प्रारूप और तरीके से वर्तमान जांच से संबंधित प्रस्तुतीकरण इस आरंभ अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर कर सकता है।
25. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी ऊपर उल्लिखित ईमेल पते पर नीचे निर्धारित समय-सीमा के भीतर निर्धारित रूप और तरीके से जांच के लिए संगत अनुरोध कर सकते हैं।
26. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराने के लिए उसका अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
27. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि इस जांच से संबंधित किसी अद्यतन सूचना से अवगत होने और आगे की प्रक्रिया के लिए वे व्यापार उपचार महानिदेशालय की अधिकारिक वैबसाइट (<https://www.dgtr.gov.in/>) को नियमित रूप से देखते रहें।

#### ड. समय सीमा

28. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा घरेलू उद्योग के आवेदन के अगोपनीय अंश को परिचालित किए जाने या निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को भेजे जाने की तारीख से तीस (30) दिनों के भीतर ई-मेल पतों [adv11-dgtr@gov.in](mailto:adv11-dgtr@gov.in); [jd12-dgtr@gov.in](mailto:jd12-dgtr@gov.in); और [ad12-dgtr@gov.in](mailto:ad12-dgtr@gov.in) पर भेजी जानी चाहिए। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली 1995 के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।
29. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा यह सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और इस अधिसूचना में यथानिर्धारित उक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का अपना उत्तर प्रस्तुत करें।
30. जहां कोई हितबद्ध पक्षकार अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग करता है वहां उसे पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार समय बढ़ाने का पर्याप्त कारण बताना होगा और ऐसा अनुरोध इस अधिसूचना में निर्धारित समयावधि के भीतर किया जाना चाहिए।

#### ढ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

31. जहां कोई भी पक्षकार प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय आधार पर कोई गोपनीय प्रस्तुतीकरण करता है या जानकारी प्रदान करता है, उसे नियमावली के नियम 7 (2) और इस संबंध में जारी व्यापार सूचनाओं के संदर्भ में ऐसी जानकारी का एक अगोपनीय पाठ प्रस्तुत करना आवश्यक है। उपरोक्त का पालन करने में विफलता के कारण उत्तरों/ अनुरोधों को अस्वीकार किया जा सकता है।
32. ऐसे अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर “गोपनीय” या “अगोपनीय” अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा “अगोपनीय” माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।
33. गोपनीय अंश में ऐसी समस्त सूचना शामिल होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/ या ऐसी कोई अन्य सूचना जिसके प्रदाता द्वारा ऐसी सूचना के गोपनीय होने का दावा किया गया है। ऐसी सूचना जिसके स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा किया गया है या वह सूचना जिसके अन्य कारणों से गोपनीय होने का दावा किया गया है, के मामले में उस सूचना के प्रदाता के लिए प्रदत्त सूचना के साथ उसके कारणों का एक विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित है कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।
34. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (जहां सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है।

35. अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है।
36. हितबद्ध पक्षकार आवेदन के अगोपनीय अंश के परिचालन की तारीख के 7 दिनों के भीतर अन्य इच्छुक पक्ष द्वारा दावा किए गए गोपनीयता के मुद्दे पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।
37. पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 7 के संदर्भ में सार्थक अगोपनीय पाठ के बिना या पर्याप्त और पर्याप्त कारण विवरण के बिना या गोपनीयता के दावे पर प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार नोटिस के बिना किया गया कोई भी प्रस्तुतीकरण प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाएगा।
38. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।
39. यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं और प्रदत्त सूचना की गोपनीयता को स्वीकार करते हैं तो वह ऐसी सूचना को देने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

**ण. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण**

40. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की सूची डी जी टी आर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी, साथ ही उनसे अनुरोध किया जाएगा कि वे अपने अनुरोध/ उत्तर/ सूचना के अगोपनीय पाठ को अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को ईमेल करें। अनुरोध/ उत्तर/ सूचना के अगोपनीय पाठ को परिचालित करने में विफलता से हितबद्ध पक्षकारों को असहयोगी के रूप में माना जा सकता है।

**त. असहयोग**

41. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार तर्कसंगत अवधि के भीतर आवश्यक जानकारी प्रदान करने से इंकार करता है और अन्यथा प्रदान नहीं करता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है, तो प्राधिकारी अपने निष्कर्षों को उपलब्ध तथ्यों के आधार पर रिकॉर्ड कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

अनन्त स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**

**(Directorate General of Trade Remedies)**

**INITIATION NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th March, 2024

**(Case No. AD(OI)- 10/2024)**

**Subject: Initiation of an anti-dumping investigation concerning imports of Potassium Tertiary Butoxide (KTB) from China PR and United States of America; and imports of Sodium Tertiary Butoxide (STB) from China PR.**

**F. No. 6/11/2024-DGTR.**— An application has been filed by Suparna Chemicals Limited (hereinafter referred to as “applicant”) before the Designated Authority in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the “Act”), and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as the “Rules”), for the initiation of an anti-dumping investigation and the imposition of anti-dumping duty on imports of potassium tertiary butoxide or KTB (hereinafter referred to as “KTB” or “subject goods” or “product under consideration”) from China PR and the United States of America (hereinafter

referred to as the “subject countries”); and imports of sodium tertiary butoxide or STB (hereinafter referred to as “STB” or “subject goods” or “product under consideration”) from China PR (hereinafter referred to as the “subject country”).

2. The applicant has alleged that dumping of the subject goods originating in or exported from the subject countries has caused material injury to the domestic industry in India. Accordingly, the applicant has requested for the imposition of anti-dumping duty on imports of KTB from China PR and USA and imports of STB from China PR.

#### **A. PRODUCT UNDER CONSIDERATION**

3. The products under consideration are “potassium tertiary butoxide” and “sodium tertiary butoxide”. They are defined as under:
4. Potassium tertiary butoxide or KTB is a chemical compound used as a non-nucleophilic and strong alkoxide base in organic chemistry. It is also known as potassium-t-butoxide, potassium tertiary butylate or potassium-t-butylate and its chemical formula is  $C_4H_9KO$ . It is produced in the form of powder and / or solution. However, the present investigation concerns in KTB in powder form only. KTB is used in deprotonation reactions, organic synthesis, elimination reaction, condensation reactions, dehalogenation reactions and it is also used in active pharmaceutical intermediates (API).
5. Sodium tertiary butoxide or STB is a chemical compound used as a non-nucleophilic and strong base in organic chemistry. It is also known as sodium-t-butoxide, sodium tertiary butylate or sodium-t-butylate and its chemical formula is  $C_4H_9NaO$ . It is produced in the form of powder and / or solution. However, the present investigation concerns in STB in powder form only. STB is used in various reactions like deprotonation, condensation, base catalysed, rearrangement and ring-opening, and is also used in agrochemicals, pharmaceuticals, colorants, aroma chemicals, polymers, detergents and biodiesel.
6. The subject goods are classified under Chapter 29 of Schedule I to the Customs Tariff Act, under the tariff codes 2905 1490, 2905 1990 and 2905 4900. The customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the product under consideration.
7. The parties to the present investigation may provide their comments on the product under consideration and propose PCNs (with justification), if any, within 15 days of initiation of the investigation.

#### **B. LIKE ARTICLE**

8. The applicant has claimed that there are no known differences in KTB and STB produced by the Indian industry and the products under consideration produced and exported from the subject countries. Each of the subject goods produced by the Indian producers and imported from the subject countries are comparable in terms of physical and chemical characteristics, manufacturing process and technology, functions and uses, product specifications, pricing, distribution and marketing and tariff classification of the goods. The subject goods are technically and commercially substitutable with subject goods imported from the subject countries. The consumers are using the subject goods and like article interchangeably. Therefore, for the purpose of the present investigation, the goods produced by the applicant have been considered as “like article” to the subject goods being imported from the subject countries.

#### **C. DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING**

9. The application has been filed by Suparna Chemical Limited. While there are two other producers which may have produced the subject goods, such production is only 1-2 MT. Thus, the applicant has been prima facie considered as the sole producer of the subject goods in India for the purpose of the present investigation.
10. The applicant has stated that they are not related to any producer/exporter of the subject goods in the subject countries or any importer of the subject goods in India. The applicant has submitted that it has imported <0.1 MT STB from China PR on sample basis during the proposed period of investigation.
11. It is noted that the applicant accounts for a major proportion in the total Indian production of the subject goods. In view of the above, it is noted that applicant prima facie constitutes eligible domestic industry in terms of Rule 2(b) of the Rules, and the application prima facie satisfies the requirement of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules.

#### **D. SUBJECT COUNTRIES**

12. The subject countries for the present anti-dumping investigation are China PR and USA with respect to KTB and China PR with respect to STB.

**E. PERIOD OF INVESTIGATION (POI)**

13. The period of investigation for the purpose of the present investigation is 1st October 2022 to 30th September 2023 (12 months). The injury investigation period will cover the period 1st April 2020 to 31st March 2021, 1st April 2021 to 31st March 2022, 1st April 2022 to 1st March 2023 and the period of investigation.

**F. BASIS OF ALLEGED DUMPING****i. Normal Value for China PR**

14. The applicant has claimed that China PR should be treated as a non-market economy and unless the Chinese producers show that market economy conditions prevail, their normal value be determined in terms of Paragraph 7 of Annexure-I to the Rules. The applicant has claimed normal value based on the price in a market economy third country. The applicant has considered the price of exports of the subject goods from India to the European Union, in order to determine the price in a market economy third country. The price has been adjusted to arrive at the ex-factory normal value. The Authority has considered the same for the purpose of the present investigation.

**ii. Normal value for USA**

15. The applicant has claimed that there was no publicly available evidence for the domestic selling price prevailing in USA and the price of imports into USA during the proposed period of investigation. Accordingly, the applicant has determined the normal value using cost of production in USA, estimated based on its own cost of production, with a reasonable addition of profits. The Authority has considered the same for the purpose of the present investigation.

**G. EXPORT PRICE**

16. The applicant has claimed the export price based on available information. However, the Authority has considered the export price of the subject goods based on the CIF price of the subject goods, as reported in the DGCI&S transaction-wise data. Adjustments have been made on account of ocean freight, marine insurance, port expenses, bank charges, inland freight, and commission to arrive at the net export price.

**H. DUMPING MARGIN**

17. The normal value and the export price of each of the subject goods have been compared at the ex-factory level. There is sufficient evidence that the normal value of each of the subject goods in the subject countries is significantly higher than the ex-factory export price indicating, prima facie, that each of the subject goods are being dumped by the exporters from the respective subject countries into the Indian market and the dumping margin is above de-minimis so as to justify initiation of the investigation.

**I. INJURY AND CAUSAL LINK**

18. The applicant has furnished prima facie evidence establishing that the subject imports have caused material injury to the domestic industry in India. The volume of imports has increased significantly over the injury period in absolute terms and in relation to the domestic production and consumption. The subject imports have undercut the domestic prices, depressed the domestic prices and have prevented price increases which otherwise would have occurred. The applicant has claimed that the subject imports have adversely impacted its production, capacity utilization, domestic sales and market share. This has significantly impacted the profitability of the domestic industry and it has incurred losses, cash losses and earned a negative return on its capital employed.
19. Therefore, there, is sufficient prima facie evidence of material injury being caused to the domestic industry by the dumped imports from the subject countries to justify initiation of this anti-dumping investigation.

**J. INITIATION OF ANTI-DUMPING INVESTIGATION**

20. On the basis of the duly substantiated application filed by or on behalf of the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of the prima facie evidence submitted by the applicant, substantiating dumping of KTB originating in or exported from China PR and USA and of STB from China PR, injury to the domestic industry and a causal link between such alleged dumping and injury, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules, the Authority, hereby, initiates an investigation to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping in respect of the products under consideration originating in or exported from the respective subject countries and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.



**K. PROCEDURE**

21. The principles as given in Rule 6 of the Rules will be followed for the present investigation.

**L. SUBMISSION OF INFORMATION**

22. All communication should be sent to the Authority via email at email address adv11-dgtr@gov.in; jd12-dgtr@gov.in; and ad12-dgtr@gov.in. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS-Word format and data files are in MS-Excel format.
23. The known producers/exporters in the subject countries, their governments through their embassies in India, the importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time limit set out below. All such information must be filed in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the AD Rules, 1995 and the applicable trade notices issued by the Authority.
24. Any other interested party may also make submission relevant to the present investigation in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the AD Rules, 1995 and the applicable trade notices issued by the Authority within the time limits mentioned in this initiation notification.
25. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time-limit set out below on the email addresses mentioned hereinabove.
26. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.
27. Interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the Authority <https://www.dgtr.gov.in/> for any updated information with respect to this investigation.

**M. TIME LIMIT**

28. Any information relating to the present investigation should be sent to the Authority via email at email address adv11-dgtr@gov.in; jd12-dgtr@gov.in; and ad12-dgtr@gov.in, within thirty (30) days from the date of receipt of the notice as per Rule 6(4) of the Rules. It may, however, be noted that in terms of explanation of the said Rule, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have been received within one week from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting countries. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the AD Rules, 1995.
29. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.
30. Where an interested party seeks additional time for filing of submissions, it must demonstrate sufficient cause for such extension in terms of Rule 6 (4) of the AD Rules, 1995 and such request must come within the time stipulated in this notification.

**N. SUBMISSION OF INFORMATION ON CONFIDENTIAL BASIS**

31. Where any party making any confidential submission or providing information on a confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non-confidential version of such information in terms of Rule 7(2) of the Rules and the Trade Notices issued in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response / submissions.
32. Such submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission which has been made to the Authority without such markings shall be treated as "non-confidential" information by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow other interested parties to inspect such submissions.
33. The confidential version shall contain all information which is, by nature, confidential, and/or other information, which the supplier of such information claims as confidential. For the information which is claimed to be confidential by nature, or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.

34. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed.
35. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.
36. The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality claimed by the other interested party within 7 days of the receipt of the non-confidential version of the application.
37. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a sufficient and adequate cause statement in terms of Rule 7 of the AD Rules, 1995 and appropriate trade notices issued by the Authority, on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
38. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
39. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

**O. INSPECTION OF PUBLIC FILE**

40. A list of registered interested parties will be uploaded on the DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions/response/information to all other interested parties. Failure to circulate non- confidential version of submissions/response/information might lead to consideration of an interested party as non-cooperative.

**P. NON-COOPERATION**

41. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

ANANT SWARUP, Designated Authority